मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-1;

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट संख्या 2 (सिविल);

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष क्रमांक-3 (राजस्व प्राप्तियां); तथा

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमांक-4 वाणिज्यिक, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उप धारा (3) (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का दिनांक 30 जून, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2009-2010, एवं

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

(ii) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, बुंदेलखण्ड पैकेज की राशि का राजघाट परियोजना में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजकुमार उरमलिया, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के बड़ामलहरा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुखदेव पांसे, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, बैतूल जिले में रेत खदानों की नीलामी में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत घटिया निर्माण कार्य होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम पिपरिया कला में ऐलहा टोला एवं लालपुर टोले में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(ख) ग्राम महुनी के खैरमाई में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(ग) ग्राम ताली में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा

(घ) ग्राम देउरी मझगवां में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

-2-

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम बिलहरी में पुरातत्व विभाग द्वारा चिन्हित स्मारक भवन का निर्माण तथा पुराने भवनों की मरम्मत किये जाने,

(ख) ग्राम कुंआ में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ग) ग्राम कुंआ के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम बड़ागांव में पुलिस चौकी खोले जाने, तथा

(ङ) बहोरीबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -

(क) ग्राम सुल्तानपुर में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम दसई-लाबरिया मार्ग से मजरा रेती खोदरा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम बान्देडी में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम पंचायत साजोद के मजरा उमरेला में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम दौलतपुरा से बोला तक नहर निर्माण किये जाने, तथा

(च) ग्राम पंचायत अमझेरा बस स्टैण्ड से मनावर चौपाटी तक सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम जमुनिया में प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत गहारा के वार्ड 7 एवं 8 में विद्युतीकरण किये जाने,

(ग) चंदला अंतर्गत केन नदी पर बने पुल तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम सूरजपुर में प्राथमिक शाला की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(ङ) गढ़ी मलहरा से महराजपुर लौड़ी होते हुए चंदला बहोन तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम लौड़ी में नल जल योजना प्रारंभ किये जाने,

(छ) ग्राम गुढ़ा खुर्द को पंचायत घोषित किये जाने,

(ज) ग्राम सरवई में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने, तथा

(झ) चंदला-सरवई तथा गौरिहार तक सड़क निर्माण किये जाने,

(5) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) ग्राम वर्धा में पुलिस चौकी खोले जाने,

(ख) ग्राम लुहारी में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम पिपरिया किरन में धर्मशाला निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम बनगांव में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम बिलाई में हाई स्कूल भवन निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पंचायत पटेरा में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(छ) ग्राम पटेरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ज) खैरा-खैरी घाट पर पुल निर्माण किये जाने,

(6) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) गल्ला मंडी से शराब दुकान हटाये जाने,

(ख) ग्राम सरानी से देशी शराब की दुकान गांव से बाहर किये जाने,

(ग) ग्राम सलैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम सलैया के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 मार्च, 2011